GCMS - 2024/40

Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

साहबराम बनाम मोहनदास आदि

रेस्टोर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 व 151 सीपीसी

प्रकरण संख्या 38 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.08.2024	पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा रेस्टोर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.08.2024 के विरूद्ध पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई वकील प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जावे प्रकरण में प्राथी रजिस्टर तलबी भरने का तैयार था प्रार्थी गांव का रहने वाला है प्रथम बार में ही शिकायत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण राज्य हित स जुडा होने से पत्रावली का निर्णय गुणदोष के आधार पर किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 05.08.2024 को निरस्त किया जाता है पत्रावली पुनः नए नम्बर पर दर्ज कर सुनवाई के आदेश दिए जाते है अप्रार्थीगण को जरिये रजि. नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.09.2024 को पेश हो। ✓ अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ (जिला–श्री गंगानगर)	
24-9-24	पत्रावली पेश हुई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पत्रांक LR/निग/2024 6858/गंगानगर/19/12/2024/504 दिनांक 20-9-2024 द्वारा यह पत्रावली माननीय न्यायालय में तलब की गई है। अतः उक्त पत्र की पालना में पत्रावली माननीय मण्डल को भिजवाई जावे पत्रावली नम्बर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। वकील प्रार्थी रहे [illegible] ✓ अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ (जिला–श्री गंगानगर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:39:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner